संख्या—3058/9—आ—1—02—57डीए/02

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग—1 लखनऊः दिनाँक—20 जुलाई, 2002

विषय : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा विक्रय की जाने वाली अचल सम्पत्तियों को कब्जा दिये जाने से पूर्व स्टाम्प शुल्क लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—2757/9—आ—1—02—57डीए/02, दिनांक—06 जुलाई, 02 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिन आवंटियों द्वारा भवन/भूमि के सापेक्ष पूर्ण धनराशि जमा कर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है, ऐसे आवंटियों के विक्रय विलेख निष्पादित कराने की कार्यवाही अभियान चलाकर दिनांक 25.07.02 से 25.08.02 तक अवश्य पूर्ण करा ली जाय।

2. उक्त के अतिरिक्त आवंटियों द्वारा अन्तिम किश्त की अदायगी के उपरान्त 30 दिन के अन्दर विक्रय विलेख निष्पादन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सम्पन्न करा ली जाय।

3. जिन आवंटियों द्वारा भवन/भूखण्डों का कब्जा ले लिया गया है और अन्तिम किश्त का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है उनसे तुरन्त नियमानुसार अवशेष धनराशि जमा कराकर निबन्धन की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जाय।

4. उक्त व्यवस्था निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र दोनों में समान रूप से लागू होगी।

भवदीय,

जे0एस0मिश्र

सचिव।

संख्या 3058(1)9—आ—1—02 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से सब—रजिस्ट्रार, निबन्धन को उक्त अभियान को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करें। उक्त के अतिरिक्त अपने स्तर से प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या 3058(2)9—आ—1—02 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2. महानिरीक्षक, पंजीयन, उत्तर प्रदेश।

3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

5. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।